छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 9 दिसम्बर, 2010 (अग्रहायण 18,1932)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उप नियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2009-2010 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क की उपधारा (3)की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ-10/38/2009/वाक/पांच (59), दिनांक 19 जुलाई,2010 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री रविन्द्र चौबे, अग्नि चन्द्राकर, अजीत जोगी, सदस्य, आयरन रिमूवल प्लांट खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, देवजी पटेल, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा मण्डी समितियों को मण्डी शुल्क व निराश्रित शुल्क का भुगतान न किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री सेवकराम नेताम, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री नंद कुमार पटेल, सभापति, लोक लेखा समिति का इकसठवां, बांसठवां, तिरसठवां, चौसठवां एवं पैंसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री अजीत जोगी, सदस्य, ग्राम गुल्लू, पोस्ट घाघरा, जिला जशपुर, अंतर्गत निजी उद्योगों/खदानों के लिये भू-अधिग्रहण रोकने,

क्रमश: 2

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य, धरसींवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम पंचायत तिवरैया में संचालित प्राथमिक शाला में अहाता निर्माण करने,

(ii) ग्राम गनियारी में संचालित हाई स्कूल हेतु भवन निर्माण करने,

(iii) ग्राम असौंदा में संचालित हाई स्कूल हेतु भवन निर्माण करने,

(iv) नगर पंचायत कूरा में पेयजल की आपूर्ति करने,

(v) ग्राम सिर्री-मादाडीह-धिवरा पहुंच मार्ग का डामरीकरण करने तथा

(3) श्री जगेश्वर राम भगत, सदस्य, जिला जशपुर, तहसील बगीचा अंतर्गत ग्राम पण्डरीपानी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

15 मिनट (1) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 25 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 26 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (3) श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 27 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

1 घंटा (4) श्री चन्द्रशेखर साहू, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 28 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

7. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

(1) श्रीमती सुमित्रा मारकोले, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, प्रस्ताव करेंगी कि - ग्राम हथबंध, जिला रायपुर स्थित गुरूकुल बाल आश्रम से एक बच्ची को बेचे जाने के संबंध में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

(2) श्री देवजी पटेल, सभापति, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति, प्रस्ताव करेंगे कि - दिनांक 18 से 21 मार्च, 2010 तक बिलासपुर के विश्राम गृह एवं अन्य स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था के दौरान शासन के निर्देशों, शिष्टाचार क्रम के पालन संबंधी कार्यवाही पर, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये.

8. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनट प्रदेश में मलेरिया की रोकथाम हेतु कारगर कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

रायपुर
दिनांक 8 दिसम्बर, 2010

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.